प्रपत्र सं0–49 भाग संख्या IV

प्रकीर्ण बाद में आदेश

न्यायालय– मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण **स्थान–** झाँसी

मोटर दुर्घटना वाद संख्या 369 **सन्** 2017 **दावा प्रस्तुति दिनांक**–30/08/2017

1. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व. श्री मोहन लाल उम 50 वर्ष
2. प्रहलाद पुत्र स्व. श्री मोहन लाल उम्र 33 वर्ष

निवासीगण– ग्राम सेसा थाना पूंछ तहसील मोंठ जिला झाँसी (उ.प्र.)

--------याचीगण।

(अधिवक्ता श्री अरूण कुमार गुप्ता)

प्रति

1. अखिलेश प्रताप पुत्र श्री राम लखन निवासी 107, सद्दी खेड़ा थाना सेहरावन जिला उन्नाव (उ.प्र.) .... पंजीकृत स्वामी ट्रक सं. यू.पी. 35 टी 9372
2. मनीष कुमार पुत्र श्री राज बहादुर निवासी खलक खेरा, दबौली, जिला उन्नाव (उ.प्र.) .... चालक ट्रक सं. यू.पी. 35 टी 9372

(विपक्षी सं.1 व 2 के अधिवक्ता श्री प्रमोद शिवहरे)

3. चोला मंण्डलम एम.एस.जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, 4–मेरीगोल्ड बिल्डिंग शाहनजफ रोड गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) ......बीमाकर्ता कम्पनी ट्रक सं. यू.पी. 35 टी 9372

(विपक्षी सं.3 के अधिवक्ता श्री सुनील शुक्ला)

टिप्पणी– जो पते कि ऊपर दिये गये है यह पक्षकारों ने को छोडकर, जो उपस्थित नहीं हुये तामील प्रयोजन से दाखिल किये है।

दावा अंतर्गत धारा –166 व 140 मो0 व्ही0 एक्ट

मुबलिग के लिए दावा 26,50,000/–

आवेदक के लिए श्री अरुण कुमार गुप्ता **अभिवक्ता और प्रतिपक्षकार के लिये** श्री प्रमोद शिवहरे व श्री सुनील शुक्ला **अभिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में दिनांक** 25.11.2019 **को** श्रीमती ममता गुप्ता **पीठासीन अधिकारी मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–६, झांसी के समक्ष निर्णय के लिये पेश होने पर एतदद्वारा आविष्ट किया जाता है कि–** याचीगण द्वारा प्रस्तुत याचिका मु. 3,41,800 (तीन लाख इकतालीस हजार आठ सौ रुपये) के लिये विपक्षी सं.3 चोला मण्डलम एम. एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. के विरूद्ध स्वीकार की जाती है। याची मुकदमा दायर करने की दिनांक से बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिकर धनराशि न्यायाधिकरण के खाते में जमा करने की दिनांक तक 7 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से प्राप्त क्षतिपूर्ति धनराशि पर ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होगे तथा विपक्षी सं. 3 चोला मण्डलम एम. एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. को आदेशित किया जाता है कि वह अविलम्ब प्रतिकर की कुल धनराशि मय ब्याज याचीगण को प्राप्त कराये जाने हेतु न्यायाधिकरण में जमा करें। उक्त प्राप्त प्रतिकर धनराशि में से मृतक का पुत्र याची सं.2 को 1,00000/–रु. तथा याची सं. 1 मृतक की पत्नी को मु. 2,41,800/–रु. मय सम्पूर्ण ब्याज पाने की अधिकारी होगी। याचीगण को प्राप्त होने वाली धनराशियों में से 30–30 प्रतिशत धनराशि एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा प्राप्त करायी जाये तथा शेष 70–70 प्रतिशत धनराशि एक साल कि लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना के अन्तर्गत जमा की जायेगी। उक्त के अनुक्रम में धनराशि प्राप्त करायी जाये।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
झांसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.10.27 14:36:53 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi